यालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी — राकेश कुमार म्योल, आर.ए.एस.)

रण संख्या :— 67/2024
र दिनांक :— 17/05/2024
य दिनांक :— 28/08/2025

अनवान

जवेरलाल उर्फ जवेरा पिता केला जटिया निवासी ढीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

नारायणी पत्नि हरचन्द पिता रामा जटिया निवासी ढीली हाल निवासी सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर
लादुलाल पुत्र जवेरा जटिया निवासी ढीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
प्यारी पत्नि जवेरा जटिया निवासी ढीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नाथद्वारा जिला राजसमन्द
शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा रेलमगरा जिला राजसमन्द
राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
वादीगण की ओर से — श्री जगदीशचन्द्र कुमावत, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से —मदनलाल सालवी, अधिवक्ता

दिनांक —28/08/2025

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेडिया,तहसील रेलमगरा की वर्तमान जमाबन्दी में (अ) खाता संख्या 108 आराजी संख्या 691, 692, 693, 694, 746,747, 757 कुल किता—07 कुल रकबा 1.1170 हेक्टेयर (ब) खाता संख्या 107 आराजी संख्या 583, 584, 585, 587, 750, 752, 754, 756, 759, 762, 763 कुल किता—11 कुल रकबा 2.9138 हेक्टेयर वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित कृषि आराजीयात वादी के पिता केला पिता पीथा के नाम राजस्व रेकार्ड सम्वत 2039 से 2042 की जमाबंदी में 1/2 हिस्सा अंकित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

होकर इसी हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग केला पिता पीथा कर रहे थे। वादी के पिता की मृत्यु होने पर वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कुल किता 18 कुल रकबा 24 बीघ 18 बिस्वा भूमियों का नामान्तरकरण पटवारी हल्का बनेडिया द्वारा दिनांक 01.12.1983 को विरासत से केला फोत अंकित करते हुए केला के बजाय जायन्दा एक लडका जवेरा (प्रार्थी) अंकित करते हुए रदोबदल की स्वीकृति फरमावे का नोट अंकित किया गया। जिस पर भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार अंकन दुरुस्त होना अंकित कर बाद जांच वारिसान स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत में पेश किया गया जहां से सरपंच ग्राम पंचायत बनेडिया द्वारा आगामी कोरम में पेश करने का नोट अंकित कर दिया। ग्राम पंचायत बनेडिया के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 की माता चुन्नी बेवा रामा से मिलीभगत कर वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 15.04.1999 को वादी के पिता केला पिता पीथा के 1/2 हिस्सा चुन्नी बेवा रामा व 1/4 हिस्सा (प्रार्थी) जवेरा पिता केला के नाम पर दर्ज करने का निर्णय कर नामान्तरकरण निर्णित कर दिया जबकि चुन्नी बेवा रामा के पास ऐसा कोई दस्तावेज केला पिता पीथा के नाम से अपने नाम पर भूमिया स्थानान्तरित करने बावत नही था। फिर भी अवैध रुप से चुन्नी बेवा ने ग्राम पंचायत से मिलकर नामान्तरकरण अपने नाम पर निर्णित करवा दिया। जबकि राजस्व कर्मचारी व भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा वादी के अलावा केला पिता पीथा के कोई वारिस अंकित नही किया था। परन्तु नामान्तरकरण के अनुसार पटवारी हल्का बनेडिया द्वारा दिनांक 16.04.1985 को नामान्तरकरण निर्णित अनुसार जमाबंदी में रदोबदल कर दिया गया। मृतक केला पिता पीथा के वादी के अलावा कोई विधिक वारिसान नही था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा नियमो के विरुद्व जाकर प्रतिवादीगणसंख्या 01 की माता से मिलीभगत कर केला पिता पीथा की भूमियों में 1/4 हिस्सा चुन्नी बेवा रामा के नाम दर्ज करवा दी। जबकि विरासत के नामान्तरकरण में मृतक के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण की कार्यावाही करने का ही प्रावधान हैं। वादग्रस्त भूमि में चुन्नी बेवा रामा का 1/4 हिस्सा विधि विरुद्व दर्ज होने के पश्चात चुन्नी बेवा रामा ने अपने हक अधिकार से परे जाकर अवैध तरिके से प्राप्त भूमि की एक वसियत अपनी पुत्री नारायणी के नाम निष्पादित की जबकि भूमि अन्तरण संबंधित कोई भी दस्तावेज निष्पादित करने से पूर्व अन्तकरण कर्ता के पास विधिक स्वामित्व एवं आधिपत्य होना चाहिऐ। चुन्नी के नाम दर्ज भूमि अवैध तरिके से प्राप्त हुई थी तथा वादग्रस्त भूमि पर चुन्नी का कभी भी आधिपत्य नही रहा तथा वादी के पिता के द्वारा चुन्नी बेवा रामा के नाम ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया जिससे वादी के पिता की भूमि उनके जीवनकाल एवं मरोणेरान्त चुन्नी बेवा रामा के नाम दर्ज हो सके वक्त नामान्तरकरण भी चुन्नी बेवा रामा के द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नही किया लिससे कि वादग्रस्त भूमियों में 1/4

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हिस्सा चुन्नी बेवा रामा के नाम दर्ज किया जा सके। उसके बावजुद नियमो को ताक में रखकर अवैध तरिके से प्रार्थी के हक अधिकार की भूमि का नामान्तरकरण चुन्नी बेवा रामा के नाम दर्ज कर दिया जो अपने आप में एक शुन्य एवं अवैध दस्तावेज हैं। चुन्नी बेवा रामा की मृत्यु के पश्चात चुन्नी द्वारा अवैध एवं शुन्य वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगणसंख्या 01 नारायण के नाम रेकार्ड में दर्ज कर दी गई तथा चुन्नी के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर जो नामान्तरकरण नारायणी के नाम फैसला हुआ है वह नामान्तरकरण अवैध एवं शुन्य है क्योंकि जो वसियत निष्पादित हुई है वह शुन्य वसीयत हैं। तथा नारायणी एवं उसकी माता का चुन्नी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी विधिक स्वामित्व एव आधिपत्य नही रहा हैं। तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी अपने पुर्वजो के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। तथा चुन्नी ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य करने की कोशिश नही की हैं। यदि चुन्नी वास्तविक हकदार होती तो वह अपने जीवनकाल में वादी के कब्जेशुदा भूमिू पर काबिज होने की कोशिश अवश्य करती। चुन्नी बेवा रामा की मृत्यु पश्चात प्रतिवादीगणसंख्या 01 के नाम वादी के हक अधिकार की भूमि प्रतिवादीगणसंख्या 01 के नाम पर दर्ज होने के बाद नारायणी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादी के हक अधिकार की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने एवं वादी को भूमियों से बेदखल करके भूमियो का अन्य व्यक्तियों को अन्तरण करने पर आमादा हो रही है। जिसका कि प्रतिवादीगणसंख्या 01 को विधिक अधिकार नही हैं। उसके बावजुद प्रतिवादीगणसंख्या 01 उक्त अवैध कृत्य करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगणसंख्या 01 के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं। प्रतिवादीगणसंख्या 02 व 03 सहखातेदार होने से एवं प्रतिवादीगणसंख्या 05 के यहा प्रतिवादी संख्या 03 की भूमियां रहन होने से एवं घोषणा का वाद होने से सम्भावित आपत्ति को मध्यनजर रखते हुऐ आवश्यक पक्षकार होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगणसं. 06 भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया अन्यथा उनके विरुद्व कोई दाद नही चाही गई हैं। प्रतिवादीगणसं. 01 नारायणी द्वारा राजस्व रेकार्ड में भूमियां अपने नाम दर्ज होनेका नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि में उसके नाम 1/4 हिस्से को प्रतिवादीगणसं. 04 स्टेट बैंक इण्डिया शाखा नाथद्वारा के यहा रहन रखकर राशि प्राप्त कर वादी को नुकसान पहुचाना का कृत्य कहा हैं। जबकि प्रतिवादीगणसं. 01 नारायणी को यह ज्ञात था कि वादग्रस्त भूमि उसके नाम अवैध तरिके से दर्ज हुई हैं तथा उसके नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि पर वह अपने जीवन काल में कभी काबिज नही रही है उसके बावजुद भूमिया बैंक यहा रहन रखकर आप्राधिक कृत्य किया हैं। तथा बैंक द्वारा बिना भूमियों के भौतिक सत्यापन किये भूमियां अपने यहां रहन रख ली जो कि अपने आप में अवैध कृत्य हैं जिससे वाद ग्रस्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ारजी में प्रतिवादीगणसं. 04 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नाथद्वारा का रहन रस्त किया जाना आवश्यक है तथा रहन की एवज में बैंक के द्वारा जो भी शि प्रतिवादीगणसं. 01 नारायणी को दी गयी है वह स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नारायणी की निजी सम्पत्ति जो की उसके विविध तरिके से प्राप्त हुई हैं उसे प्राप्त करने का अधिकार हैं। वादी के विधिक अधिपत्य एवं अधिकार की भूमि पर रहन दर्ज करने का प्रतिवादीगणसं. 04 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को विधिक अधिकार नही हैं वादग्रस्त भूमियां अवैध तरिके से प्रतिवादीगणके नाम दर्ज होने की जानकारी के पश्चात वादी द्वारा नामान्तरकरण सं. 386 की अपील उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह दृर्शित किया गया कि वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 386 के बाद आगे प्रतिवादीगणसं. 01 के नाम अन्तरित हो गयी है उक्त तथ्यों का विधिक तरिके से निस्तारण प्रार्थना पत्र में विवाधक तय करके साक्ष्य के पश्चात ही तय किया जा सकता है जिससे विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही नही होने से अपील दिनाक 14.05.2024 को निरस्त कर दी गयी है जिससे वादी द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम बार हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि के नाम की घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावें एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/4 भूमि वादी के नाम अंकित फरमाई जावें। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा नाथद्वारा का रहन हटाया जाकर भूमियां रहन मुक्त फरमाई जावें। बाद घोषणा एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन पश्चात् वादी के हक अधिकार की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की कोई बाधा हस्तक्षेप कारित नही करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें एवं दौराने वाद भूमियों का अन्तरण करने की अवस्था में पूर्ववत् स्थिति कायम करने की आदेशात्मक निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 05 ने जवाब प्रस्तुत कर बैंक रहन को ध्यान में रखे जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रकरण में अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नही कर मैरिट पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया जाने पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त उक्त आराजियात के पूर्व खातेदार वादी केला के पिता होकर उनका हिस्स दर्ज रिकार्ड था और वादी के पिता के वादी अकेला वारिसा था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जब वादी के पिता की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया तब बिना वादी को सुने एवं चुन्नी बेवा रामा के पक्ष में कोई भी विधिक दस्तावेज होते हुए भी केला की सम्पत्ति में से 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण चुन्नी बेवा रामा के पक्ष में खोल दिया गया जो त्रुटिपूर्ण कृत्य किया गया है और चुन्नी बेवा रामा ने वादग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज होने का नाजायत लाभ उठाने हुए अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पद वसीयत कर दी गई जो प्रारम्भ से शुन्य एवं अवैध है। ऐसी स्थिति में वादी दस्तोवजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

: : आदेश : :

अतः वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदारी वादी के पिता केला का विरासत से नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने एवं वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को सिद्व करने में सफल रहने से वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेडिया, तहसील रेलमगरा स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 691, 692, 693, 694, 746,747, 757 कुल किता–07 कुल रकबा 1.1170 हेक्टेयर (ब) खाता संख्या 107 आराजी संख्या 583, 584, 585, 587, 750, 752, 754, 756, 759, 762, 763 कुल किता–11 कुल रकबा 2.9138 हेक्टेयर भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के 1/4 हिस्से का खातेदार, काश्तकार वादी को घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलकटर
(उपखण्ड अधिकारी)

सहायक कलक्टर एवं उपख...